अनुसूची 14—फारम सं0— 462

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक — ता0..... से .....तक

जिला.....सं0.....सन् 16.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित 3

न्यायालय, उप निदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा

आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0 76/2013

आरती देवी — अपीलार्थी

बनाम

राज्य — रेस्पोण्डेन्ट

आदेश

प्रस्तुत आँगनबाड़ी अपीलवाद अपीलार्थी द्वारा निम्न न्यायालय सुपौल के ज्ञापांक 595 दिनांक 24.04.2012 को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध हस्तांतरित होकर इस न्यायालय में सुनवाई हेतु प्राप्त हुआ है।

संक्षेप में मामला यह है कि उक्त आँगनबाड़ी केन्द्र सं0 27 छातापुर परियोजना के अन्तर्गत 27.11.2012 को 2:10 बजे अपराह्न में प्रखंड विकास पदाधिकारी छातापुर द्वारा औचक निरक्षण के क्रम में केन्द्र बन्द पाया गया तथा सेविका/सहायिका अनुपस्थित पाई गई। निरिक्षी पदाधिकारी के बुलाने पर सेविका तो उपस्थित हुई किन्तु सहायिका श्रीमती आरती देवी उपस्थित नहीं हो सकी। निरिक्षी पदाधिकारी के निरक्षण के समय एक लाभार्थी जिनका नाम बबीता देवी पति दिलीप शाह को 3 मग चावल एवं 1/2 मग दाल T.H.R. में दिया गया था। निरक्षी पदाधिकारी द्वारा यह आरोप लगाया है कि सेविका द्वारा केन्द्र संचालन में समय का पालन नहीं किया जाता है एवं T.H.R. वितरण भी सही मात्रा में नहीं दिया जाता है एवं केन्द्र निर्धारित समय तक खुला रहना चाहिए एवं सेविका /सहायिका को निर्धारित समय तक निश्चित रूप से उपस्थित रहना चाहिए

दिनांक 07.08.2014 को उक्त अंकित वाद की इस न्यायालय में सुनवाई की गयी। अपीलार्थी ओर से विद्वान अधिवक्ता ने एवं सरकार की ओर से सरकारी अधिवक्ता

ने अपना–अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखा अपीलार्थी ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए न्यायालय को बताया कि सहायिका का चयन मुक्ति का पत्र ज्ञापांक 595/प्रोग्राम दिनांक 24.04.2012 पुर्णतः गलत है उन्होंने बतलाया कि माननीय उच्च न्यायालय पटना में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के उक्त Impugned Order के खिलाफ C.W.J.C. No.19513/2012 दायर होने के बाद न्यायालय के आदेश पर D.M. सुपौल द्वारा सुनवाई कर अपने आदेश ज्ञापांक 1332/जिला प्रो0 दिनांक 27.08.2012 को उक्त अंकित केन्द्र के सेविका श्रीमती रेखा कुमारी को सेविका के रूप में कार्य करने हेतु आदेशित किये हैं उन्होंने अपने उक्त आदेश ज्ञापांक 1332 दिनांक 27.08.2012 में यह भी अंकित किये है कि श्रीमती रेखा कुमारी द्वारा केन्द्र पर पोषाहार एवं T.H.R. का वितरण निर्धारित मात्रा में किया जा रहा है। ज्ञातव्य हो कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल के उक्त चयन मुक्ति आदेश ज्ञापांक 595 दिनांक 24.04.2012 द्वारा केन्द्र 27 की सेविका श्रीमती रेखा कुमारी एवं सहायिका श्रीमती आरती देवी को एक ही समान आरोप लगाकर एक ही साथ निर्गत पत्र द्वारा चयन रद्द करने का आदेश किया गया था।

जिला पदाधिकारी ने अपने सुनवाई आदेश में यह भी अंकित किये है कि दिनांक 22.11.2011 को प्रखंड विकास पदाधिकारी छातापुर द्वारा उक्त केन्द्र निरक्षण से संबंधीत निरक्षण टिप्पणी निदेशानुसर निरक्षण पंजी में दर्ज करना चाहिए था, जो नहीं किया गया उनके द्वारा सुनवाई आदेश में यह भी अंकित किया गया है कि सुनवाई के क्रम में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी छातापुर द्वारा प्रश्नगत केन्द्र का निरीक्षण पंजी का गहन अवलोकन किया गया तो पाया गया कि निरक्षण की तिथि 22.11.2011 के पूर्व केन्द्र समुचित रूप से नियमित तरीके से संचालित किया गया, एवं लाभुकों को निर्धारित मात्रा में T.H.R का वितरण भी किया जाता रहा है।

अभिलेखीय कागजातों व साक्ष्यों के गहन निरीक्षण में यह भी ज्ञात हुआ कि केन्द्र का निरीक्षण प्रखंड विकास पदाधिकारी छातापुर द्वारा दिनांक 27.11.12 को 2:10 बजे अपराह्न में किया गया जबकि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल ने सेविका को पूछे जाने वाले स्पष्टीकरण प्रपत्र में प्र0वि0 पदा0 छातापुर का निरीक्षण तिथि 22.11.2011 दर्शाया गया है, अब निरीक्षण की तिथि 27.11.12. या 22.11.11 कौन सही है ? इतना तो तय है कि निरक्षण तिथि पर सहायिका उपस्थित थी, उपस्थिति के दौरान दूरभाष पर उनके बच्चे की तबियत खराब हो जाने की सूचना आने पर सेविका को जानकारी देकर, वे छुट्टी लेकर घर चली गई। जिसकी जानकारी सेविका द्वारा निरक्षी पदाधिकारी को जाँच के दौरान दिया गया था।

उपरोक्त तथ्यों व वर्णित बातों के आलोक में कहा जा सकता है कि जब जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल के ज्ञापांक 595 दिनांक 24.04.2012 के द्वारा प्रश्नगत केन्द्र की सेविका के चयनमुक्ति आदेश को गलत बताते हुए जिलाधिकारी महोदय ने सुनवाई परांत Queshed कर सेविका को पुनः केन्द्र पर बहाल रखने हेतु निर्देश

दिए तो सहायिका के मामले में कोई निर्णय न लेना, (एक ही सामान आरोप के मामले में) उचित नहीं दिखता है, यहाँ नैर्सगिक न्याय का उल्लंघन भी है। जहाँ तक One day leave की बात है, माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित निर्णय C.W.J.C. NO. – 1285/10, 19486/2011, दृष्टव्य है। निर्देशालय के पत्रांक 2012/2120 दिनांक 20.06.2012 में स्पष्ट अंकित है कि केन्द्रों की जाँच के पश्चात् एक ही तरह के आरोप में, एक ही परिस्थिति में, एक जैसा निर्णय व कार्रवाई की जानी चाहिए।

अतः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल के आदेश 595/दिनांक 24.04.2012 पूर्णतः गलत आदेश है, इन्हें निरस्त किया जाता है, एवं सहायिका को प्रश्नगत आँगनबाड़ी केन्द्र सं0 27 पर चेवावनी सहित कार्य करने हेतु एक मौका दिया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

18.9.2014.

उपं निदेशक, कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा

18.9.2014.

उपं निदेशक, कल्याण
कोशी प्रमंडल,सहरसा